''पारमार्थिक संस्थाओं (NGOs) पर लागू जीएसटी के प्रावधान''

लेखक - सीए पीयूष वोहरा, इन्दौर
मेल - wohrapiyush@yahoo.com

जीएसटी को जानने हेतू प्रारंभिक बातें

जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपुर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो सीधे करदाता पर नहीं लगाया जाता है बल्कि इसे करदाता द्वारा अपने ग्राहकों से वसूला जाता हैं। जीएसटी के अंतर्गत पूर्व में लागू कई करो का एकीकरण किया गया हैं जिसमें मुख्य रूप से Excise, VAT, Entry Tax एवं Service Tax शामिल है। जीएसटी कर के तीन घटक है -

सी-जीएसटी	राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर केन्द्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर।
एस-जीएसटी	राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर।
आई-जीएसटी	अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर।

जीएसटी में कर की मुख्य दरें 5%, 12%, 18% एवं 28% है जिसे सी-जीएसटी एवं एस-जीएसटी में आधा-आधा बांटा जाता है।

क्या NGOs पर जीएसटी लगता है?

आमतौर पर यह भ्रांति है कि NGOs पर जीएसटी नहीं लगता है परन्तु जीएसटी कानून में NGOs को ऐसी कोई सर्वमान्य छूट नहीं दी गई है व इस कानून से संबंधित कई नियमों का पालन NGOs को भी करना पडेगा। हांलाकि जीएसटी कानून में पंजीकरण के लिए 20 लाख रूपये विक्रय तक साधारण छूट दी गई है परन्तु इस 20 लाख रूपये की गणना में सभी तरह की सप्लाई चाहे वह exempt हो या taxable हो शामिल की जाऐगी जिसकी वजह से इस छूट का दायरा बहुत सीमित हो जाता है व Charitable संस्थाओं को छूट प्राप्त करने के लिए कानून के अन्य प्रावधानों को जानना जरूरी है। जीएसटी के अंतर्गत NGOs को सशर्त निम्न छूटे दी गई है:

1. **साधारण छूट:** आय कर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत संस्थानों को ''Charitable Activity'' के माध्यम से की गई आपूर्ति पर जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। जीएसटी कानून के तहत ''Charitable Activity'' को भी परिभाषित किया गया है। Charitable Activity का अर्थ निम्न गतिविधियों से संबंधित है:–
   (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जैसेः–
      - शारीरिक रूप से असक्षम या बीमार व्यक्तियों के लिऐ परामर्श
      - एचआईवी या एड्स से प्रभावित लोगों के लिए परामर्श
      - शराब या अन्य नशे पर निर्भर व्यक्तियों के लिए परामर्श

   (2) धर्म, आध्यात्म, या योग को बढ़ावा देना
   (3) स्वास्थ्य या परिवार नियोजन के विषय पर जागरूकता फैलाना
   (4) निम्नलिखित वर्गो के लिऐ शैक्षिक या कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
      - शारीरिक या मानसिक रूप से पीडित व्यक्ति
      - कैदी
      - अनाथ, बेघर, या परित्यक्त बच्चें
      - 65 वर्ष की आयु से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी

   (5) पर्यावरण की रक्षा के लिऐ दी गई सेवायें (वाटर शेड क्षेत्रों, जंगलों, और वन्य जीवन से संबंधित)

   Income Tax कानून के विपरित जीएसटी कानून में Charitable Activity का दायरा बहुत ही सीमित है व अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई एनजीओ मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो जीएसटी लागू हो जाएगा और संस्थान को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा।

2. **Charitable Trust or NGO की कुछ विशिष्ट गतिविधियों पर भी छूट दी गई हैं जैसे –**

(1) किसी भी धार्मिक समारोह का आयोजन

किसी भी व्यक्ति के द्वारा दुर्गा पूजा, नवरात्रि आदि जैसे धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिऐ प्राप्त कोई आय जीएसटी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी । ऐसे धार्मिक समारोह/पूजा के आयोजन के दौरान भी होर्डिग को लगाने की अनुमति देने के लिऐ विज्ञापन शुल्क की तरह किसी अन्य प्रकृति की आय जीएसटी के तहत कर योग्य होगी।

(2) **धार्मिक स्थल को किराये से देना**

आयकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी संस्थान द्वारा संचालित धार्मिक स्थल को किराये पर देने से प्राप्त होने वाली राशि पर जीएसटी में छूट प्रदान की गई है।

छूट के अपवाद

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगीः–

- कमरों का किराया अगर 1000/– रूपये प्रतिदिन या उससे अधिक हो;
- परिसर, सामुदायिक हॉल, कल्याण मन्डपम या खुले क्षेत्र आदि का किराया अगर 10000/– रूपये प्रतिदिन या उससे अधिक हो;
- दुकानों का किराया अगर 10000/– रूपये प्रतिमाह या उससे अधिक हो।

नोटः पूर्व में सेवाकर के तहत आम जनता के लिऐ एक धार्मिक जगह के परिसर के किराए पर पूरी तरह से छूट दी गई थी और किसी भी तरह की सीमा नहीं थी।

(3) सार्वजनिक पुस्तकालयों पर जीएसटी

सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा किताबों, प्रकाशनों या अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री को उधार के रूप में दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी से छूट प्रदान की गई है।

(4) शैक्षणिक संस्थनों पर जीएसटी

किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने Students, Faculty and Staff को दी गई सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी गई है। Private Coaching Centers या अन्य संस्थान जो भले ही एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करते है परन्तु उन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं होगी । जीएसटी से छूट प्राप्त शैक्षणिक संस्थान भी अगर अपनी जगह किसी और को किराये से देतें हैं तो उन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं होगी।

(5) **Charitable Trust द्वारा संचालित Hospitals**

स्वास्थ्य से जुड़ी निम्नलिखित सेवाओं पर छूट प्रदान की गई है–

- किसी Clinical Establishment, Authorized Medical Practitioner या Para-Medics के द्वारा दी गई Healthcare Services.
- एक एम्बुलेंस में रोगी के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।

Note: Healthcare Services में बालों के प्रत्यारोपण, कास्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी को तब तक शामिल नहीं किया जाऐगा जब तक की वह किसी जन्मजात दोष, abnormalities, चोट या आघात के ईलाज के लिए न की गई हो ।

(6) मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण और कोचिंग

मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग के माध्यम से दी गई सेवाएं

कला या संस्कृति में प्रशिक्षण	पूर्णतः जीएसटी से छूट प्राप्त है
खेल में प्रशिक्षण	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अंतर्गत पंजीकृत होने पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी

नोटः सेवाकर के तहत यह छूट सभी संस्थानों को दी गई थी और आईटी अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(7) **NGOs द्वारा वस्तुओं की बिक्री**

एक NGO द्वारा बेची गई वस्तुएं जीएसटी के तहत कर योग्य है। ऐसी वस्तुओं पर आम तौर पर लागू जीएसटी दर से कर देय होगा।

रिवर्स चार्ज संबंधित प्रावधान

जीएसटी कानून के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी है जिसमें कर जमा करने का दायित्व वस्तु या सेवा के प्रदाता के बजाय प्राप्तकर्ता पर आता है व जिसमें 20 लाख रूपये की साधारण छूट प्राप्त नहीं होगी साथ ही जीएसटी Registration भी लेना होगा। कानून में इस परिस्थिति को ''रिवर्स चार्ज'' कहा गया है । ऐसी दो मुख्य परिस्थितियाँ इस प्रकार हैः–

सेवाएं	सेवा प्राप्तकर्ता
Goods Transport Agency	Any society
किसी वकील या वकीलों की फर्म द्वारा दी गई कानूनी सेवाएं	Any NGO other than those engaged into 'charitable activity' as defined earlier

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि छोटी से छोटी NGO पर भी लागू होगा यदि वे उक्त दो में से किसी भी प्रकार की सेवा के संबंध में भुगतान करते है। ऐसी दशा में उन्हे जीएसटी registration ले कर उस भुगतान राशी पर निर्धारित दर से जीएसटी की गणना करके स्वयं ही उस जीएसटी को चालान द्वारा भरना होगा।

जीएसटी में ग्राहक या उपभोक्ता के रूप में जानने योग्य बातें –

अंत में उपभोक्ता के रूप में भी जीएसटी में जानने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे –

1. जीएसटी में खरीददारी करते समय Invoice लेना हमेशा ध्यान रखें।
2. Invoice में Supplier का GSTIN और टैक्स के रुप में वसूली गई राशी को अलग से दर्शाना अनिवार्य है।
3. अगर आप स्वयं जीएसटी में पंजीकृत है तो Invoice में अपना GSTIN लिखवाना न भूलें अन्यथा आपको चुकाऐं हुए जीएसटी की छूट प्राप्त नहीं होगी।

निष्कर्ष:

उपरोक्त सभी प्रावधानों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि Charitable संस्थाओं को भले ही जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, जीएसटी कानून व छूट प्राप्ति के लिए दी गई शर्तो का पालन करना पड़ेगा । जीएसटी कानून अभी नया है तथा प्रावधानों में निरंतर सुधार व परिवर्तन हो रहें हैं, ऐसी दशा में भविष्य में कानून का पालन ना करने से होने वाले कानूनी व्यवधानों जैसे ब्याज व शास्ति आदि से बचने के लिये उचित यह होगा कि NGOs अपनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपने आडिटर अथवा Consultant से परामर्श लेकर ही आगे कार्य करें ।

––– धन्यवाद –––